Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 24–2026] CHANDIGARH, MONDAY, JUNE 15, 2026 (JYAISTHA 25, 1948 SAKA)

PART-I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

वित्त विभाग

अधिसूचना

दिनांक 3 जून, 2026

संख्या 1/23/2024–1पेंशन.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, अधिसूचना संख्या 1/23/2024–1 पेंशन, दिनांक 2 जुलाई, 2025 द्वारा अधिसूचित एकीकृत पेंशन स्कीम (यूपीएस) को आगे संशोधित करते हैं, जो राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होगी, अर्थात्:–

संशोधन

एकीकृत पेंशन स्कीम (यूपीएस) में, खण्ड 3 में,–

(i) अंत में, विद्यमान चिह्न '।' के स्थान पर ':' चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा

(ii) निम्नलिखित परन्तुक जोड़ें जाएगें, अर्थात्:–

"परन्तु राज्य सरकार के उन सभी कर्मचारियों, जिन्होंने एकीकृत पेंशन स्कीम (यूपीएस) के विकल्प का चुनाव किया है, को एकीकृत पेंशन स्कीम (यूपीएस) से हरियाणा नई पेंशन स्कीम (एनपीएस) की एक बार, एकतरफा स्विच करने की सुविधा उपलब्ध होगी। एकीकृत पेंशन स्कीम (यूपीएस) के विकल्प चुनने वाले अधिवर्षिता की तिथि से पूर्व एक वर्ष के अपश्चात् किसी भी समय इस स्विच सुविधा का प्रयोग कर सकते है। यदि कर्मचारी द्वारा स्विच करने की सुविधा का पूवोक्त समय सीमा के भीतर प्रयोग नहीं किया जाता है, तो कर्मचारी स्वतः एकीकृत पेंशन स्कीम (यूपीएस) के अधीन बना रहेगा।

परन्तु यह और कि शास्ति के रूप में पद से हटाने, पदच्युत करने, अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामले में अथवा उन मामलों, जहां बड़ी शास्ति हेतु अनुशासनिक कार्यवाहियाँ जारी है अथवा अनुध्यात है, के लिए स्विच करने की सुविधा अनुज्ञात नहीं होगी।"।

अरूण कुमार गुप्ता,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

FINANCE DEPARTMENT

Notification

The 3rd June, 2026

No. 1/23/2024-1Pension.— In exercise of the power conferred under the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in the Unified Pension Scheme (UPS) notified vide Notification No. 1/23/2024-1Pension, dated the 2nd July, 2025, which shall came into force on the date of its publication in the official Gazette, namely:—

Amendment

In the Unified Pension Scheme (UPS,) in clause 3:-

(i) for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted ; and

(ii) the following proviso shall be added, namely:-

"Provided that a one-time, one-way switch facility from Unified Pension Scheme (UPS) to Haryana New Pension Scheme (NPS) shall be made available to all State Government employees who have opted for Unified Pension Scheme(UPS). This switch facility may be exercised by Unified Pension Scheme optees any time, but not later than one year prior to the date of superannuation. If switch facility not exercised within the aforesaid timelines, the employee shall continue under Unified Pension Scheme (UPS) by default :

Provided further that the switch facility shall not be allowed in case of removal, dismissal or compulsory retirement as a penalty or for cases where disciplinary proceedings for major penalty are ongoing or contemplated.".

ARUN KUMAR GUPTA,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Finance Department.

12656—C.S.—H.G.P., Pkl.